भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 1158**
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

**विषय : जैव-उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन**

**1158. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:**
**श्री मितेश पटेल (बकाभाई):**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार जैव-उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है;
(ख) यदि हां, तो जैव-उर्वरकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत दस वर्षों के दौरान से आज तक जैव-उर्वरकों के उपयोग के वर्ष-वार और राज्य-वार आंकड़े क्या है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

**(क) से (ग):** भारत सरकार जैव-उर्वरकों के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है जो पोषक तत्वों का प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल स्रोत हैं और इन्हें जैविक खेती और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।

सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक उर्वरकों का उपयोग करके जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती अर्थात उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन और फसलोंपरांत प्रबंधन तकमें लगे किसानों को एंड-टू-एंड समर्थन पर जोर देती हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इस योजना का अभिन्न अंग हैं।

पीकेवीवाई योजना के तहत, किसानों को जैविक खाद सहित ऑन फार्म और ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए डीबीटी के माध्यम से 3 साल के लिए 15000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जबकि, एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत किसानों को ऑफ फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए 3 वर्षों के लिए 32500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 15,000 रुपये जैविक उर्वरक सहित ऑन फार्म और ऑफ फार्म जैविक इनपुट के लिए डीबीटी के माध्यम से तथा 17,500 रुपये राज्य अग्रणी एजेंसी (एसएलए) द्वारा किसानों को रोपण सामग्री के लिए दिए जाते हैं।

अच्छी गुणवत्ता वाले जैविक-उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) के तहत इसकी गुणवत्ता को विनियमित करती है। मानक निर्दिष्ट किए गए हैं जिनका विनिर्माताओं द्वारा अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार ने 32 गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है और गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एनएबीएल के तहत अपनी प्रयोगशालाओं को मान्यता देने के लिए कदम उठाए हैं।

भारत सरकार जैव-उर्वरक के वितरण के लिए सहायता प्रदान नहीं कर रही है। हालाँकि, आरकेवीवाई के मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता घटक के अंतर्गत, उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधानों के माध्यम से जैव-उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना प्रस्ताव आधारित है और जैव-उर्वरक इकाई और जैव/जैविक उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

आरकेवीवाई के मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता के अंतर्गत देश में जैव-उर्वरक इकाई और जैव/जैविक उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 2014-15 से दी गई राज्यवार समेकित वित्तीय सहायता **अनुबंध -I** में दी गई है।

भारत सरकार ने "धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और सुधारके लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य उर्वरकों के स्थायी और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करने के माध्यम से धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को पूरा करना है। इस योजना के तहत, पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी के माध्यम से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रद्वारा बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% अनुदान के रूप में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दिया जाएगा।

मिशन लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग में कमी लाकर ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) के उत्सर्जन को कम करने के लिए जैविक और जैव-उर्वरकों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पर्यावरण पहल कर रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न फसलों और मिट्टी के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव-उर्वरकों की कुशल किस्में विकसित की हैं। जब इन जैव-उर्वरकों को 5 टन/हेक्टेयर की दर से कम्पोस्ट या 4 टन/हेक्टेयर की दर से वर्मी-कम्पोस्ट के साथ डाला जाता है, तो उर्वरक की बचत 50% तक होने का अनुमान है। इसलिए, आईसीएआरउर्वरकों और खादों के एकीकृत उपयोग की सिफारिश करता है। मृदा जैव विविधता पर अखिल भारतीय नेटवर्क परियोजना के तहत तरल और चूर्ण दोनों रूपों में जैव-उर्वरकों का विकास और प्रचार किया गया है। देश भर में विभिन्न फसलों के लिए उपयुक्त फॉस्फोरस घुलनशीलता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पोटेशियम और जिंक घुलनशीलता के लिए जैव-उर्वरक विकसित किए गए हैं और उनमें से कई का

व्यवसायीकरण भी किया जा रहा है। आईसीएआरजैव-उर्वरकों के उपयोग पर प्रशिक्षण भी देता है, इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करता है। इसके अलावा, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) ने 26110.69 क्विंटल वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन किया और 2023-24 के दौरान किसानों के लिए जैविक और जैव-उर्वरकों का निर्माण, प्रचार और वितरण भी कर रहे हैं।

राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएनएफ) और गाजियाबाद, नागपुर, बेंगलुरु, इम्फाल और भुवनेश्वर में स्थित इसके क्षेत्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र विभिन्न मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण जैसे एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण, विस्तार अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण, पीजीएस पर दो दिवसीय प्रशिक्षण, 30 दिन का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, एक दिवसीय जैविक एवं प्राकृतिक किसान सम्मेलन, प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय हितधारक परामर्श/सम्मेलन, प्राकृतिक खेती पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम और देश भर में जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के जैविक और जैव उर्वरकों के ऑन फार्म उत्पादन और उपयोग के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमआयोजित कर रहे हैं। एनसीओएनएफ और आरसीओएनएफ जैविक और प्राकृतिक खेती और जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और उपयोग पर ऑनलाइन जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैंजैव उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन **अनुबंध ।।** में दिया गया है।

किसानों को जैव-उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न पहल की हैं जैसे:

i. जैव-उर्वरक, जैविक उर्वरक और जैविक खाद के एकीकृत उपयोग को आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पद्धति के पैकेज का अभिन्न अंग बनाया गया है।

ii. आईसीएआर ने उच्च शेल्फ-लाइफ के साथ तरल जैव-उर्वरक प्रौद्योगिकी विकसित की है और विभिन्न फसलों और मिट्टी के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव-उर्वरकों के उन्नत स्ट्रैन्स को भी विकसित किया है।

**लो.स.अता.प्र.सं. 1158**
**अनुबंध-I**

**आरकेवीवाई के मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता के अंतर्गत देश में जैव-उर्वरक इकाई तथा जैव/जैविक उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए वर्ष 2014-15 से दी गई राज्यवार समेकित वित्तीय सहायता**

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | जैव-उर्वरकउत्पादनइकाइयोंकेलिएप्रदानकी गईवित्तीयसहायता | जैव/जैविक-उर्वरकगुणवत्तानियंत्रणप्रयोगशालाकेलिएप्रदानकीवित्तीयसहायता |
|---|---|---|---|
| 1 | अरूणांचल प्रदेश | 36.00 | 19.13 |
| 2 | असम | 23.43 | 89.25 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 48.00 | 76.50 |
| 4 | हरियाणा | 92.16 | - |
| 5 | मेघालय | 108.00 | - |
| 6 | नागालैंड | 504.00 | 95.63 |
| 7 | सिक्किम | 144.00 | 76.50 |
| 8 | तमिलनाडु | 144.00 | 76.50 |
| 9 | तेलंगाना | 144.00 | 76.50 |
| 10 | त्रिपुरा | 108.00 | - |
| 11 | उत्तर प्रदेश | 160.00 | - |
| 12 | आंध्र प्रदेश | - | 76.50 |
| 13 | गुजरात | - | 38.25 |
| 14 | जेएंडके | - | 76.50 |
| 15 | झारखंड | - | 38.25 |
| 16 | पुड्डुचेरी | - | 50.00 |
| 17 | पंजाब | - | 11.25 |
| 18 | पश्चिम बंगाल | - | 63.75 |
| | **कुल** | **1511.59** | **864.51** |

**लो.स.अता.प्र.सं. 1158**
**अनुबंध- II**

## वर्ष 2014 से 2022-23 तक राज्य-वार जैव-उर्वरक उत्पादन आंकड़े

| राज्य | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर आधारित (मीट्रिक टन में) | तरल आधारित (केएल में) | कैरियर आधारित (मीट्रिक टन में) | तरल आधारित (केएल में) |
| आंध्र प्रदेश | 2668.8 | 274.86 | 3062.6 | 317.811 | 3375.91 | 365.24 | 4983.6 | 369.75 | 263.88 | 0 | 228.27 | 0 | 123.19 | 98.49 | 353.87 | 62.61 | 104.988 | 40.67 |
| कर्नाटक | 16462.62 | 23.06 | 23042.91 | 488.142 | 31553.06 | 993.443 | 34493 | 1352.85 | 3253.7 | 758.19 | 3606.72 | 1218 | 1446.5 | 870.53 | 1510.61 | 1368.37 | 1456.87 | 1691.51 |
| केरल | 4916.97 | 10.51 | 4926.045 | 56.5751 | 4993.87 | 59.6143 | 6040.1 | 82.85 | 108.24 | 2.098 | 91.029 | 5512.14 | 164.98 | 2612 | 127.19 | 660.6 | 57.1837 | 0.07355 |
| पुदुचेरी | 560.95 | 1.4976 | 283.641 | 4.088 | 203.97 | 11.197 | 297.58 | 28.37 | 121.9 | 6.192 | 121.9 | 7.57 | 97.17 | 2.16 | 90.15 | 5.66 | 90.041 | 8.338 |
| तमिलनाडु | 15373.29 | 11.3017 | 23721.21 | 861.9535 | 27427.962 | 875.292 | 28059.4 | 46.18 | 4187.243 | 536.784 | 11611 | 1481.59 | 88652.43 | 434.313 | 0 | 1108.89 | 133205 | 1209.446 |
| तेलंगाना | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.15 | 236.09 | 2556.29 | 12711.74 | 1536.334 | 174.75 | 448.72 | 150.14 | 290.31 | 105 | 3453.205 | 5195.06 |
| छत्तीसगढ़ | 1024.68 | 9.62 | 954.371 | 9.38 | 955.07 | 10.23 | 969.07 | 16.63 | 172.029 | 133.74 | 26.77 | 189.64 | 558.88 | 268.68 | 9.78 | 103.45 | 373.73 | 212.328 |
| गुजरात | 3667.929 | 2800.5 | 3963.42 | 2873.317 | 3909.82 | 2857.77 | 4248.15 | 3519.29 | 10596 | 430.529 | 20788 | 9444 | 19483.31 | 8055.72 | 24772.14 | 8030.32 | 67227.3 | 112040.1 |
| गोवा | 802.52 | 0 | 820.52 | 0 | 822 | 0 | 838.74 | 0 | 2044 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 124.26 | 0 | 296.798 | 0 |
| मध्य प्रदेश | 2637.99 | 119.216 | 2741.3078 | 131.033 | 5609.01 | 238.103 | 6561.51 | 290.4 | 7426.517 | 327.193 | 1330.005 | 315.64 | 21834.3 | 15811.1 | 6584.79 | 84200 | 6635.59 | 18339.76 |
| महाराष्ट्र | 14847.397 | 324.767 | 7825.142 | 389.665 | 8323.62 | 398.33 | 10024.9 | 427.4 | 15049.75 | 4193.78 | 15897 | 237.14 | 5328.18 | 2140.95 | 7452.94 | 4680.88 | 7820.1 | 51<br>10.83 |
| राजस्थान Rajasthan | 599.898 | 0 | 680 | 0 | 711 | 0 | 791.81 | 1.12 | 791.81 | 1.12 | 2142.78 | 0 | 10612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 104.5 | 0 | 106.2 | 0 | 116.2 | 0 | 119.72 | 0 | 394 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| हरयाणा | 872.955 | 46.489 | 1097.457 | 58.032 | 2360.64 | 70.148 | 2504.61 | 76 | 2128.7 | 246.54 | 2794.77 | 0 | 3105.42 | 113.17 | 99809.61 | 108982 | 61727.48 | 1748.599 |
| हिमाचल प्रदेश | 0.768 | 33.07 | 2.712 | 190.05 | 3.28 | 194.7 | 8.48 | 209.7 | 135.112 | 12.05 | 320 | 137.9 | 0.22 | 0.22 | 120.45 | 137 | 46.274 | 34.3 |

| | 2014-15 | | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | | 2020-21 | | 2021-22 | | 2022-23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर (मीट्रिक टन) | तरल (केएल) | कैरियर आधारित (मीट्रिक टन में) | तरल आधारित (केएल में) | कैरियर आधारित (मीट्रिक टन में) | तरल आधारित (केएल में) |
| जम्मू एवं कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3.3 | 0.275 | 2.885 |
| पंजाब | 6305.453 | 74.278 | 2197.197 | 149.581 | 5533.77 | 210.177 | 5645.28 | 236.09 | 7167.384 | 220.785 | 9252.19 | 192.49 | 16042.27 | 361.37 | 3063.7 | 85.7 | 416.9 | 2367.8 |
| उतार प्रदेश। | 4099.068 | 98.036 | 3053.115 | 223.34 | 2835.79 | 696.9 | 3441.3 | 743.95 | 2451.8 | 2444.55 | 2142.78 | 2539.89 | 0 | 5725.64 | 132.11 | 0 | 22663.47 | 0 |
| उत्तराखंड | 2129.952 | 208.034 | 3549.39 | 428.22 | 3720.68 | 461.19 | 3942.05 | 0 | 3359.79 | 281.406 | 3118.98 | 4980 | 3708.83 | 1150.81 | 3476.03 | 566.84 | 3447 | 646.25 |
| बिहार | 64.9 | 0 | 97 | 0 | 107 | 0 | 128.76 | 0.02 | 130.83 | 0 | 375 | 1900 | 74.59 | 2.11 | 6545.66 | 0 | 1144.436 | 867.104 |
| झारखंड | 9.08 | 0 | 9.172 | 0 | 18.552 | - | 20.96 | 0.01 | 20.96 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ओडिशा | 1074.46 | 4.7 | 467.634 | 13.701 | 516.28 | 31.79 | 560.2 | 46.18 | 8166.89 | 149.692 | 449.2 | 1719 | 19406.64 | 859.6 | 13367.97 | 200.82 | 319.53 | 77.597 |
| पश्चिम बंगाल | 2061.83 | 14.63 | 2826.27 | 23.537 | 3195.18 | 26.21 | 3513.07 | 37.74 | 2050 | 37.74 | 2200 | 0 | 448.59 | 33.54 | 703 | 12.48 | 1034.113 | 6.74135 |
| अरुणाचल प्रदेश | 59 | 0 | 118 | 0 | 119.7 | 0 | 232.9 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम | 88 | 0.000 | 1315 | 22.5 | 1359.05 | 26 | 1742.62 | 33.1 | 617.2 | 0 | 640.33 | 4.9 | 438.54 | 3447.35 | 524.85 | 22582 | 427.16 | 13645 |
| मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 23.94 | 0 | 81.5 | 100 | 13.2 | 11.51 | 20 | 24.01 | 22.1 | 24.74 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 3.6 | 0 | 4.2 | 0 | 2.5 | 0 | 8.99 | 0 | 2.5 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| नागालैंड | 7.45 | 0 | 8.81 | 0 | 51.45 | 0 | 70.62 | 0 | 17.452 | 0 | 18.75 | 0 | 19.14 | 0 | 6.04 | 0 | 0 | 0 |
| सिक्किम | 12.4 | 0 | 12.91 | 0 | 16.25 | 0 | 33.15 | 0 | 0 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 69.02 | 0 | 11.31 | 0 | 0 |
| त्रिपुरा | 240 | 0 | 1143.07 | 0 | 1153.5 | 0 | 1187.88 | 1.12 | 81.79 | 0 | 340.06 | 39.78 | 283.99 | 9.02 | 117.04 | 2.32 | 1387.7 | 166.76 |

******